कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक–मु0चि0अ0/नो0अधि0/कोविड/2021–22/ दिनांक 20.04.2021

आदेश

कोविड–19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत् शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर को एल–2 कोविड चिकित्सालय के रूप में अधिगृहित किया गया था, जिसके नोडल अधिकारी डा0 अभिनव कुमार सिंह, चि0अ0, नया प्रा0स्वा0के0 बड़सरा, गाजीपुर को नियुक्त किया गया था, वर्तमान में डा0 अभिनव कोविड पाजिटीव होने के कारण डा0 मनोज कुमार चौरसिया, अधीक्षक एवं प्रभारी अधिकारी, सामु0स्वा0के0 करण्डा, गाजीपुर मो0नं0–8840015452 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजीपुर।

पत्रांक–मु0चि0अ0/नो0अधि0/कोविड/2021–22/242 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूच नार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रशासन, गाजीपुर।
6. अधीक्षक एवं प्रभारी अधिकारी, सामु0स्वा0के0 करण्डा, गाजीपुर।
7. प्रबन्धक, शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर।
8. कार्यालय प्रति।

20.04.21

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजीपुर।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजीपुर।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
[illegible], गाजीपुर।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / वि0आपू0 / 2021–22 / दिनांक 22.04.2021

विषय–जनपद गाजीपुर में संचालित कोविड एल–2 हास्पिटल में अनवरत विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि कोविड एल–2 चिकित्सालय के रूप में 107 बेडेड शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर एवं जिला चिकित्सालय, गाजीपुर संचालित हो रहा है, जिसमें लगातार कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उपरोक्त चिकित्सालयों में अनवरत विद्युत आपूर्ति की नितान्त आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दोनो चिकित्सालय में अनवरत विद्युत आपूर्ति कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजीपुर।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / वि0आपू0 / 2021–22 / 240 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर।
5. प्रबन्धक, शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गाजीपुर।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर।

संख्या 231 / वाचक0 दिनांक 16 अप्रैल 2021

आदेश

उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या 146/एक–11–2020–रा0–11 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा–2 उपधारा(डी) के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

उपरोक्त महामारी छुआछूत के संक्रमण से फैल रही है, इसकी रोकथाम हेतु जनपद में आ रहे अन्तर्राष्ट्रीय [illegible] में यह भी सम्मिलित है कि लाकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से आने वाले लोगों को क्वारेन्टाइन किया जाये तथा कोविड–19 अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में कोविड–19 के मरीजों की भर्ती एवं उपचार हेतु जनपद गाजीपुर में स्थित प्राईवेट मेडिकल कालेज/हास्पिटल एवं शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 2 उपधारा(डी) सपठित धारा 65 के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी के कारण शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी गाजीपुर को अधिग्रहित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच–5–2020 दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में मैं अनिरूद्ध प्रताप सिंह, उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर निर्देशित करता हूँ कि निम्न विवरण के अनुसार शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी, गाजीपुर को आवश्यकतानुसार मानव संसाधन (जो कि समय–समय पर अवगत कराया जायेगा), प्रबन्धन, व्यवस्थापन तथा फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों (जनरेटर सहित) व सामग्रियों सहित उक्त संक्रमण के बचाव एवं इसके प्रसार को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अधिग्रहित किया जाता है" तथा प्रस्तर–12 के प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में आदेशित करता हूँ कि सम्बन्धित थाना प्रभारी उपर्युक्त परिसर की सुरक्षा एवं अध्यासियों के कर्तव्य निर्वहन हेतु आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे–

क्र0सं	संस्था का नाम	अधिग्रहित कर अभिरक्षा प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम	हस्ताक्षर एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी अधिकारी
	[illegible]		
1	शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी	श्री मुकेश कुमार सिंह, तहसीलदार–सदर, गाजीपुर	थाना प्रभारी ~~कोतवाली गाजीपुर~~ [illegible]

इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध करना राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम– 2005 की धारा– 51 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा इससे उत्पन्न विफलता को उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच–5–2020 दिनांक 14.03.2020 एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40–3–2020–DM-I(A) दिनांकित 26.03.2020 का उल्लघंन करने पर उत्तरदायित्व नियत किया जायेगा।

(अनिरूद्ध प्रताप सिंह)
उपजिला मजिस्ट्रेट
सदर गाजीपुर।

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– पुलिस अधीक्षक महोदय, गाजीपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि कोविड–19 अस्पताल हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें कराना सुनिश्चित करें।
4– तहसीलदार सदर गाजीपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5– सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी को अनुपालनार्थ प्रेषित।
6– प्रबन्धक शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी, गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7– जिला सूचना अधिकारी को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

16/4/21

उपजिला मजिस्ट्रेट
सदर गाजीपुर।

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE SADAR